

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/ वाद/ 99,पार्ट

जयपुर, दिनांक 7.01.19

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर में कार्यरत अतिरिक्त महाधिवक्तागण को विभागों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

S.No.	Name of AAG	Departments
1.	Maj. R.P. Singh	Mining, Finance, Forest & Industries.
2.	Shri Anil Mehta	UDH, Local Self Department, Revenue.
3.	Shri Chiranji Lal Saini	Primary Education, Labour & Employment, Ayurved, Technical Education, Devasthan.
4.	Shri Ganesh Meena	Sanskrit Education, Secondary Education, GAD, Social Welfare
5.	Shri Rajesh Maharshi	Agriculture, PWD, Food & Civil Supplies, Home Department (Other than service matters)
6.	Shri Satyendra Raghav	Cooperative, Colonisation, DOP & Transport, Election.
7.	Dr. Vibhuti Bhushan Sharma	Service matter of Medical, Home Department and Medical Education, Higher Education
8.	Shri Ganesh Parihar	Medical Department (Non-service matters), Panchayati Raj Department (service matters), Energy.
9.	Ms. Sheetal Mirdha	Information & Technology, Tourism, Animal Husbandry, Relief & Disaster Management, Water Resources, Women Empowerment, Panchayati Raj Deptt. (Other than service matters)

नोट:-

- उक्त विभाग आवंटन के अतिरिक्त, विधि एवं विधिक कार्य विभाग संबंधित प्रशासनिक विभाग की सकारण प्रार्थना पर अथवा अपने स्वविवेक से कोई भी प्रकरण किसी भी अतिरिक्त महाधिवक्ता को आवंटित कर सकेगा।
- उक्त आवंटित विभागों में से किसी भी विभाग का परिवर्तन/ परिवर्द्धन महाधिवक्ता से विचार-विमर्श/ सलाह से विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।
- पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्तागण इस आदेश से पूर्व के आवंटित प्रकरणों की सम्पूर्ण पत्रावलियां इस आदेश में वर्णित विभाग-आवंटनानुसार संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता को यथाशीघ्र सुपुर्द करेंगे। जिन्हें वर्तमान अतिरिक्त महाधिवक्ता यथाशीघ्र उनसे प्राप्त करेंगे।
- सभी अतिरिक्त महाधिवक्तागण/ सभी प्रशासनिक विभाग प्रकरण आवंटन के संबंध में समय-समय पर विधि विभाग द्वारा जारी परिपत्रों व निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
ह0/- (07/1/19)
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99,पार्ट

जयपुर दिनांक 7-01-19

:: आदेश ::


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर में कार्यरत अतिरिक्त महाधिवक्तागण को विभागों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

S.No.	Name of AAG	Departments
1.	Maj. R.P. Singh	Mining, Finance, Forest & Industries.
2.	Shri Anil Mehta	UDH, Local Self Department, Revenue.
3.	Shri. Chirangi Lal Saini	Primary Education, Labour & Employment, Ayurved, Technical Education, Devasthan.
4.	Shri Ganesh Meena	Sanskrit Education, Secondary Education, GAD, Social Welfare.
5.	Shri Rajesh Maharshi	Agriculture, PWD, Food & Civil Supplies, Home Department (Other than service matters)
6.	Shri Satyendra Raghav	Cooperative, Colonisation, DOP & Transport, Election.
7.	Dr. Vibhuti Bhushan Sharma	Service matters of Medical, Home Department and Medical Education, Higher Education
8.	Shri Ganesh Parihar	Medical Department (Non-service matters), Panchayati Raj Department (service matters), Energy.
9.	Ms. Sheetal Mirdha	Information & Technology, Tourism, Animal Husbandry, Relief & Disaster Management, Water Resources, Women Empowerment, Panchayati Raj Deptt. (Other than service matters)

नोट:-

- उक्त विभाग आवंटन के अतिरिक्त, विधि एवं विधिक कार्य विभाग संबंधित प्रशासनिक विभाग की सकारण प्रार्थना पर अथवा अपने स्वविवेक से कोई भी प्रकरण किसी भी अतिरिक्त महाधिवक्ता को आवंटित कर सकेगा।
- उक्त आवंटित विभागों में से किसी भी विभाग का परिवर्तन/परिवर्द्धन महाधिवक्ता से विचार-विमर्श/सलाह से विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।
- पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्तागण इस आदेश से पूर्व के आवंटित प्रकरणों की सम्पूर्ण पत्रावलीयां इस आदेश में वर्णित विभाग-आवंटनानुसार संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता को यथाशीघ्र सुपुर्द करेंगे। जिन्हें वर्तमान अतिरिक्त महाधिवक्ता यथाशीघ्र उनसे प्राप्त करेंगे।
- सभी अतिरिक्त महाधिवक्तागण/सभी प्रशासनिक विभाग प्रकरण आवंटन के संबंध में समय-समय पर विधि विभाग द्वारा जारी परिपत्रों व निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,


(महावीर प्रसाद शर्मा) 07/01/19

प्रमुख शासन सचिव, विधि